

सं. 1/19/2014-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 16 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आधार संख्या के लिए नामांकन और उन्हें सभी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों में दर्ज किए जाने के संबंध में।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने माह नवंबर, 2014 में पेंशनभोगियों द्वारा ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आधार पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली "जीवन प्रमाण" का शुभारंभ किया है। यह, डिजिटल भारत की संकल्पना को साकार करने के दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध अन्य विधियों के अतिरिक्त है।

2. 'जीवन प्रमाण' का उद्देश्य पेंशनभोगियों एवं कुटुंब पेंशनभोगियों को बैंक की शाखा में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाई से बचाना है। अब किसी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से अथवा नजदीकी सुविधा केंद्र में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है। इसके अतिरिक्त बैंक, बैंक खातों एवं पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) संख्या को आधार संख्या से लिंक कर पेंशन एवं अन्य भुगतानों की वैधता को सुनिश्चित करेंगे। इससे पेंशनभोगी के निधन होने की दशा में कुटुंब पेंशन भी शीघ्र आरंभ हो सकेगी।

3. आधार संख्या के उपयोग के स्पष्ट फायदों को देखते हुए सभी कर्मचारियों को सुझाव दिया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने परिजनों को पंजीकृत कराएं एवं तत्काल या 30 जून, 2015 तक आधार संख्या प्राप्त कर लें। इसके साथ ही प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सभी सेवा पुस्तिकाओं एवं कर्मचारी डेटाबेस में यह ब्यौरा डाल दें ताकि सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर इस सूचना को पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) में स्थानांतरित किया जा सके।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे यूआईडीएआई के सहयोग से आधार पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाएं और सभी कर्मचारियों, खासकर आगामी दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को सुझाव दें कि वे स्वयं एवं अपने परिजनों के लिए आधार संख्या जारी करवा लें और उन्हें कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर उचित पावती प्राप्त कर लें।

5. अंग्रेजी संस्करण संग्रहन है।

आलोक रावत

(आलोक रावत)

भारत सरकार के सचिव

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव